विचार बिन्दु

संपदा को जोड़-जोड़ कर रखने वाले को भला क्या पता कि दान में कितनी मिठास है। –आचार्य श्रीराम शर्मा

राज्य में सिनेमा निर्माण की चुनौतियां व सरकार से अपेक्षाएं

राजस्थान में सिनेमा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकारें फिल्म नीति में कुछ नया करने की कवायद बार–बार करती रहीं हैं। राज्य सरकार इस समय फिर इस कसरत में लगी है। अचंभे की बात यह है कि नीति पर सोच–विचार अमूमन विधानसभा में राज्य का सालाना बजट प्रस्तुत करने के थोड़े दिन पहले ही हर साल होता है। हर बार नीति पर विमर्श एक छोटे समूह में ही होता है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का बोलबाला रहता है। वृहद फिल्म जगत में काम कर रहे लोगों के साथ खुली चर्चा करने का शासन में किसी को खयाल नहीं आता। फिल्म नीति शून्य में नहीं बनती। यह एक शुष्क और तकनीकी प्रक्रिया भी नहीं है। पिछले दो दशकों में आर्थिक वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के कारण दुनिया भर के फिल्म उद्योगों में बड़े बदलाव हुए हैं। वैश्विक फिल्म बाजार में हॉलीवुड के सामने पूर्वी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप जैसे क्षेत्रीय सिने उद्योग' भी उभरे हैं। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (जिफ) में अंतर्राष्ट्रीय सिने जगत में आपसी सहयोग के नए रूप विकसित होते भी हमने देखे है। दक्षिण भारत्व का सिनेमा अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर अखिल भारतीय हो रहा है और बॉलीवुड में बन रही फिल्मों को भी प्रभावित कर रहा है। बंगाली, मराठी, गुजराती और पंजाबी के साथ भोजपुरी सिनेमा ने अपनी देशव्यापी पहचान बनाई है। किन्तु 1942 में बनी पहली राजस्थानी फिल्म 'निज़राणो' और उसके दो दशक बाद 1961 में 'बाबासा री लाड़ली' के रिलीज़ होने के बाद अब तक राजस्थानी फिल्में गिरती–पड़ती बनती रही हैं मगर देश के सबसे बड़े प्रदेश होने का गौरव रखने वाले राजस्थान का क्षेत्रीय सिनेमा न अपनी पहचान बना पाया है और न कोई हैसियत। राजस्थान के निवेशकों और कलावंतों ने बॉलीवुड में तो अपना ऊंचा स्थान बनाया लेकिन राजस्थानी सिनेमा के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रही। हालांकि राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए शासन के मदद की मांग हमेशा उठती रही लेकिन राज में बैठे लोगों की प्राथमिकताओं में सिनेमा कोई जगह नहीं पा सका। नीति निर्माताओं ने राजस्थानी सिनेमा से अपने सरोकार का दिखावटी प्रदर्शन करते हुए बेतुकी नीतियों की घोषणाएं जरूर की। नीति निर्माताओं ने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि फिल्म एक रचनात्मक उद्योग है उसे अपेक्षाकृत अमूर्त व्यावसायिक नज़रिये से नहीं देखा जा सकता। इसकी भी कभी खबर नहीं ली गई कि बनाई गई नीतियों का इस विशिष्ट उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। यह भी किसी को कभी समझ में नहीं आया कि बजट से ठीक पहले ही फिल्म नीति का नया दस्तावेज ताबड़तोड़ बनाने की गरज क्यों पड़ती है? बाद में साल भर के दौरान हितधारकों के साथ गंभीर विमर्श कभी नहीं होता है। प्रशासन तंत्र को सिनेमा के जानकार लोगों के साथ बैठकर विस्तृत और खुला विमर्श करके यह जानने की फुरसत ही नहीं है कि फिल्म उद्योग कैसा एक जटिल उद्योग है, जिसमें रचनाशीलता और व्यवसाय का अनोखा बंधन होता है। अब जब नई डिजिटल तकनीक फिल्मों के निर्माण ही नहीं प्रदर्शन माध्यमों पर अपना जबरदस्त असर डाल रही है तब बदले समय में आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं जिनके कारण फिल्म नीति के उद्देश्यों की अवधारणा, परिभाषा और कार्यान्वयन के तरीके पर पुनर्विचार करने की जरूरत और बढ़ जाती है। पिछले दिनों राजस्थान के अनेकों प्रमुख फिल्मकार तथा फिल्म तथा संगीत जगत से जुड़े लोग जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (जिफ) की पहल पर जयपुर में मिले और राजस्थानी सिनेमा की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर गंभीरता से खुलकर चर्चा ही नहीं की बल्कि नई फिल्म नीति में शामिल किये जाने के लिए अपने व्यावहारिक सुझाव भी दिए जिन्हें एक ज्ञापन में सरकार को भेजा गया है।

फिल्म को ऐतिहासिक रूप से उद्योग, मनोरंजन और कुछ मामलों में, 'कला' के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। इसीलिए फिल्म नीतिमें कई तरह की औद्योगिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनिवार्यताओं का प्रवेश अनिवार्य हो जाता है, जो राज्य की नीतियों में सिरे से नदारद मिलता है। अब तक की नीतियां वाणिज्यिक फिल्म उद्योग के समर्थन में मुख्य रूप से आर्थिक उपायों को देखती रही है, न कि सांस्कृतिक या कलात्मक गतिविधियों में निष्पक्ष हस्तक्षेप के रूप में। राजस्थानी फिल्म निर्माण में सहायता करने की ऊपरी इच्छा भी केवल आर्थिक विचारों तक सीमित रही है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विविध रूपों को बनाए रखने में नीति निर्माताओं की कोई रुचि कभी नज़र नहीं आई। इसीलिए फिल्मों को पर्यटन से जोड़ देने के अलावा और कोई समझ हमारे नीति निर्माताओं ने अब तक नहीं दिखाई है। कुल मिला कर बजट में मिलने वाली एक निश्चित राशि को कैसे बांटना है, यही फिल्म नीति का एकमात्र उद्देश्य बन कर रह जाता है। यह भी कोई नहीं पूछता कि राजस्थानी फिल्मों के लिए बजट में राशि का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ऐसा लगता है सरकार फिल्म व्यवसाय को सिर्फ ग्लैमर के शीशे से देखती है और उसे हल्के में लेती है। इसी कारण कला और संस्कृति पीछे रह जाती है तथा पर्यटन हावी हो जाने पर फिल्मों को अजूबे की तरह पर्यटकों को परोसने का उद्यम होने लगता है। यह सही है कि फिल्म निर्माण निजी वाणिज्यिक हितों के लिए होता है मगर इसे अन्य सांस्कृतिक रूपों के समान कलात्मक और सांस्कृतिक दर्जा कैसे मिले इस पर नीति निर्माताओं ने न कभी सोचा और न कभी बात की। फिल्मों को अन्य मीडिया की तरह सार्वजनिक हित के रूप में नहीं देखा जाता है। जयपुर में जुटे फिल्म कला और व्यवसाय से जुड़े लोग चाहते थे कि इस बार 2022 की बुरी नीतियों की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि अनुभव बताता है कि वह नीति पूरी तरह जटिल, अव्यावहारिक और अप्रभावी सिद्ध हुई, जिससे न पर्यटन को लाभ हुआ और न ही राजस्थान में फिल्म निर्माण को। फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लोगों ने एक सरल एवं प्रभावी नीति बनाई जाने की जरूरत बताते हुए उचित ही कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नई नीति का उद्देश्य फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना है, या उसके जरिए पर्यटन को बढ़ाना देना है अथवा दोनों के बीच संतुलन साधना है। चर्चा में शामिल फ़िल्मकारों ने सहमति जताई कि सरकार को शूटिंग लोकेशन शुल्क में छूट, आतिथ्य समर्थन, और राजस्थानी फिल्मों के लिए विशेष सिनेमा स्क्रीनिंग की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। राजस्थानी फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोग चाहते थे कि सरकारी अधिकारियों के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और अनुभवी फिल्म विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए, जो राजस्थानी फिल्मों को अनुदान और अन्य मदद करने पर निर्णय ले ताकि सच्चे फ़िल्म निर्माताओं और गुणवत्तापूर्ण सिनेमा को वित्तीय सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा तभी संभव है जब अनुदान पाने की हकदार फिल्मों के चयन की व्यवस्था पारदर्शी हो। इस बारे में आए एक महत्वपूर्ण सुझाव पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। अभी चयन समिति में प्रशासनिक अधिकारियों का बोलबाला होता है और उसमें केवल दो गैर–सरकारी सदस्य इसमें लिए जाते हैं। सिनेमा व्यवसाय से जुड़े लोगों का सुझाव था कि यह प्रतिनिधित्व उलटा होना चाहिए। इस समिति में केवल दो गैर सरकारी सदस्य और शेष विभिन्न सिने विधाओं के जानकार होने चाहिए। इस व्यवस्था के विकल्प में एक अच्छा सुझाव यह भी आया कि सरकार प्रतिवर्ष एक विशेष राजस्थानी फिल्म महोत्सव आयोजित करे जिसमें श्रेष्ठ फिल्मों के चयन के लिए राष्ट्रीय जूरी हो जिसके द्वारा दिए गये अंकों के आधार पर फिल्में पुरस्कार/अनुदान राशि की हकदार बने।

> **हमने देखा है कि जब-जब फिल्म सिटी की बात उठती है तब-तब सिने जगत के बड़े नाम जिनकी राजस्थानी फिल्मों के निर्माण में रत्ती भर भी भूमिका नहीं रही वे व्यक्तिगत स्तर पर इसके नाम पर जमीनें पाने के उद्यम में लग जाते है। फिल्म सिटी के नाम पर जमीनें हथियाने के उपक्रम न हों इस पर निगरानी रखने की भी जरूरत है।**

राजस्थान में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्तशाषी 'फिल्म विकास निगम' की स्थापना का भी एक अच्छा सुझाव है। इस निगम का संचालन नौकरशाहों के हाथ में न होकर सिनेमा के अनुभवी और पेशेवर कलाकारों के हाथों में हो। अभी फिल्म की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन कामों के लिए उच्च स्तर के उपकरण महंगे किराये पर राज्य से बाहर से लाने पड़ते हैं। इस निगम के जरिए राजस्थान के फिल्म निर्माताओं को ऐसे संसाधन उचित दामों पर सुलभ कराए जा सकते हैं। अभी पर्यटन विभाग फिल्म नीति के क्रियान्वयन का काम देखता है जिसके पास उसकी कोई विशेषज्ञता नहीं है। जरूरी है कि नई नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। चूंकि फिल्म और पर्यटन वैश्विक उद्योग हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह भी नीति बनाने में ली जा सकती है। यह भी देखा गया है कि राजस्थान में फिल्म उद्योग को स्थापित करने की पहल भी जयपुर में 'फिल्म सिटी' बनाने तक सीमित हो जाती है। हमने देखा है कि जब–जब फिल्म सिटी की बात उठती है तब–तब सिने जगत के बड़े नाम जिनकी राजस्थानी फिल्मों के निर्माण में रत्ती भर भी भूमिका नहीं रही वे व्यक्तिगत स्तर पर इसके नाम पर जमीनें पाने के उद्यम में लग जाते है। फिल्म सिटी के नाम पर जमीने हथियाने के उपक्रम न हों इस पर निगरानी रखने की भी जरूरत है। यह बात भी समझनी होगी कि बॉलीवुड की फिल्मों की आर्थिक ताकत के सामने पिद्दी सी राजस्थानी फिल्मों को केवल मामूली आर्थिक प्रोत्साहन की नीति के सहारे नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए शासन से बड़ी पहल की उम्मीद की जाती है। यह पहल तभी हो सकती है जब शासन में बैठे जन प्रतिनिधि वृहद सिने समाज के लोगों के साथ बैठ कर विस्तार से निरंतर विमर्श करे।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

समृद्धि लाने वाला हो राजस्थान का बजट

रामपाल जाट

खर्चे से अधिक आय होना समृद्धि का प्रतीक है, अधिकतम जन की आय में बढ़ोतरी होना राज्य को समृद्धशाली बनाता है। बजट में यह दृष्टि होना शुभ दिशा का संकेत है। दिशा ही अच्छी दशा होने का सूचक है। राज्य को अपने खर्चों के लिए जनता से 'कर' के द्वारा धन संग्रह का अधिकार है– जैसे सूर्य पृथ्वी से पानी प्राप्त करता है, वह किसी को अखरता नहीं, वैसे ही राज्य के द्वारा करारोपण से कोई व्यथित नहीं होना चाहिए। जब इस पानी को सूर्य पृथ्वी को लौटाता है तो चारों ओर हर्ष का वातावरण होता है, वैसे ही सर्वजन सुखाय की भावना व्यक्त होनी चाहिए। इस मापदंड के लिए आवश्यक है कि कर उन लोगों से लिया जाए जिनके पास विलासिता के लिए संसाधन उपलब्ध है। जनसाधारण की आवश्यकता के उपयोग में आने वाले अनाज, चारा, पानी जैसे संसाधनों को कर से मुक्त रखा जाए। इसी के लिए राम राज्य की चर्चा होती है।

राजस्थान में 75.13 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है। सामान्यतया गांव में उद्योगों की संख्या औसत रूप से दस थी, तब गांव आत्मनिर्भर इकाई के रूप में थे, उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकता की सामग्री एवं जीवकोपार्जन का साधन गांव में उपलब्ध रहता था। यथा– खेती करने के लिए उपयोग में आने वाले हल, कुड़ी जैसे उपकरण एवं यंत्र तैयार करने वाले कारीगर गांव में ही थे। खेती में प्रयुक्त होने वाले खाद, बीज कीटनाशी जैसी दवाइयां घरों पर तैयार होती थी। ब्रिटिश राज में यह व्यवस्था में बिगाड़ हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत इसी दिशा में आगे बढ़ा गया उसी का परिणाम है कि गांव के मोची को मार कर बाटा को और लोहार को मार कर टाटा को पनपाया गया। खेती को बाजार के अधीन कर दिया गया। बीज, खाद, कीटनाशक एवं ट्रैक्टर जैसे उपकरण बनाने वाली कंपनियां मालामाल हुई और खेती करने वाले को ऋण जाल में उलझकर आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। इसे सही दिशा में मोड़ना चुनौती भरा कार्य है, तथापि यह कैंसर जैसी असाध्य बीमारी नहीं है, बल्कि साधारण फोड़े–फुंसी है, जिनका उपचार सरलता से किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुसार निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तब भी स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद जयपुर जैसी सुविधाएं गांव में उपलब्ध नहीं हैं। गांव की प्रतिभा का शहर की ओर पलायन हो रहा है! इससे गांव और शहर दोनों ही दुखी है! इसका कारण भेदभाव जनित नीतियां रही है।

बजट की प्राथमिकता सिंचाई परियोजनाएं होने पर विस्मयकारी परिणाम आ सकते हैं। क्षेत्रफल में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। जहां उपलब्ध भूभाग संपूर्ण देश का 10 प्रतिशत से अधिक है तथा पानी की उपलब्धता लगभग एक प्रतिशत ही है। उपलब्ध पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। सिंधु जल समझौते के उपरांत पानी पाकिस्तान में बहकर जा रहा है। यमुना जल समझौते को 30 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सीकर–झुंझुनू–चूरू के शेखावाटी क्षेत्र को एक बूंद भी पानी प्राप्त नहीं हुआ और भरतपुर में प्राप्त पानी की मात्रा 20 प्रतिशत से कम है। वर्ष 1966 में माही परियोजना के लिए हुए समझौते के अनुसार इस परियोजना का संपूर्ण पानी आज भी राजस्थान को प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि गुजरात के खेड़े जिले को नर्मदा का पानी वर्ष 2006 से ही प्राप्त हो रहा है। चंबल नदी में प्रतिवर्ष 20,000 घनलीटर से अधिक पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है। इस पानी के उपयोग के लिए वर्ष 2017 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर तैयार हो गई थी। अभी तक नवनेरा बांध का ही काम पूरा हुआ है, ईसरदा बांध का काम पूरा होने की निर्धारित अवधि को तीन वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। वर्ष 2018 की प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार वर्ष 2019 में ही जल शक्ति मंत्रालय की कमान राजस्थान को सौंप दी गई थी जिनके हाथ में कमान आई, उन्होंने 5 वर्ष का समय परियोजना को अटकाने, लटकाने एवं भटकाने में व्यतीत कर दिया। इसलिए राजस्थान में नई सरकार बनने के एक वर्ष बाद भी इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दिए जाने पर पीने का पानी स्वत: उपलब्ध हो जाता है। पानी मिलने पर मिट्टी में सोना उपजने की संभावना बलवती हो सकती है, मर्यादित पानी सदा ही समृद्धि लेकर आता है।

प्रत्येक गांव में तालाब अथवा पोखर पानी के संग्रह के लिए उपलब्ध है। उन्हें बनाए रखना एवं छोटे बांधों का समुचित रखरखाव–पुनरुद्धार सिंचाई विभाग का दायित्व होना ही युक्ति संगत है। अनेक बांधों को ग्राम पंचायत को सौंपने का अनुभव अच्छा नहीं रहा, क्योकि उनके पास तकनीकी ज्ञान, संसाधन, एवं अनुभव नहीं है।

कृषि उपज के लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने की सरकार निरंतर घोषणा करती है। उसी के अनुक्रम में फसल तैयार होने के उपरांत लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 9(2)(XII) में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में क्रय विक्रय को रोकने का प्रावधान है, जो पुस्तक की शोभा ही बना हुआ है। इस अधिनियम के अनुसार कृषि उपज मंडियों में नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ किए जाने की घोषणा से अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में मध्य प्रदेश की ई उपार्जन प्रणाली ने गेहूं खरीद में पंजाब एवं हरियाणा को भी पछाड़ दिया था! यह प्रणाली राजस्थान में लागू की जा सकती है। मंडियों में तोल, मोल एवं बोल में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए मंडियों के नियमित चुनाव पर विचार हो सकता है।

कृषि उपज मंडियों के अनुज्ञधारी व्यापारियों को कृषि उपज बेचने के उपरांत व्यापारी उसकी राशि को लेकर चम्पत हो जाते हैं, किसानों को उनका भुगतान नहीं करते, उसके लिए किसानों को उस राशि का भुगतान मंडी कोष से करने तथा उसकी वसूली बकायादार व्यापारी से सरकार के पीडीआर नियमों के अधीन करने से आय सुनिश्चित हो सकती है।

पशुपालन के क्षेत्र में दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना आवश्यक है, इससे पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। आज तो पानी की बोतल दूध से महंगी है। सरकार उत्पादकों को घोषित न्यूनतम मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम मूल्य की सीमा निर्धारित कर सकती है। जिससे वर्तमान का ढर्रा सुधर सकता है। मूंग पैदा करने वाले को एक किलो के 50 रूपये प्राप्त होते हैं जबकि दाल खरीदने वाले उपभोक्ता को कम से कम 120 रुपए एक किलो के चुकाने पड़ते हैं! यह स्थिति तो तब है जब मूंग की दाल बनाने में एक मूंग के दो टुकड़े करने का खर्च अधिकतम 5 रुपए प्रति किलो है।

सरकार जानती है कि किसानों के पास भंडारण की सुविधा एवं क्षमता नहीं होने से उन्हें अपनी उपज ओने पाने दामों में बेचनी पड़ती है । इससे मुक्ति दिलाने के लिए वेयरहाउस (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 एवं उसके नियम 2010 में तैयार कर लिए गए। उसी के क्रियान्वयन की दिशा में राजस्थान में सहकार किसान कल्याण योजना वर्ष 2022–23 में तैयार की गई किंतु सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

ग्राम पंचायत में गोदाम का निर्माण तथा पंचायत समिति स्तर पर शीतगृहों का निर्माण अपरिहार्य है। इस हेतु से भारत सरकार ने वर्ष 2018 में 'छत्रक योजना' के रूप में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आरंभ किया, जिसमें गोदाम बनाने के लिए राज्य सरकारों को व्यापक स्तर पर समयबद्ध कार्य करने के निर्देश भी है। मूल्य समर्थन योजना की मार्गदर्शिका 2014 में भी इसका उल्लेख है। उसके पूर्व भी भारत सरकार राज्यों से निरंतर आग्रह करती रही है। गोदाम का ग्राम पंचायत में आने वाली राशि से एक वर्ष में निर्माण हो सकता है क्योंकि 5 लाख टन के गोदाम का निर्माण 50 लाख रुपए की राशि से किया जा सकता है, सामान्यत: एक वर्ष में एक ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि उससे अधिक होती है।

प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर राज्य एवं केंद्र आपदा राहत कोष के नियम बनाए हुए हैं। उनके अंतर्गत पिछले 3 वर्षों की स्वीकृत राशि भी किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष खरीफ में उडद की खरीद आधा प्रतिशत से भी कम होने एवं जयपुर जिले की दूदू–मोजमाबाद जैसी तहसीलों में मूंग की खरीद नहीं होने के लिए शत प्रतिशत खराबे को आधार बनाया गया। इसके उपरांत भी मूंग एवं उडद पीड़ितों की क्षति की पूर्ति भी अभी तक नहीं की गयी। जबकि राजस्थान में ही वर्ष 2006 में प्राकृतिक आपदा की मार से फसले खराब होने पर प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी शासन सचिवों ने खेतों पर पहुंचकर क्षतिपूर्ति एक सप्ताह में ही कर दी थी, उसके बारे में बजट के प्रावधान की आवश्यकता है। फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए कारगर सिद्ध नहीं हुई क्योंकि उसमें पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का अभाव है! इसे भी राज्य सही कर सकता है! प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में महाराष्ट्र की भांति किसानों से प्रीमियम राशि एक रूपये की जा सकती है ।

अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार अधिकतम लोगों की जेब में पैसा आता है तो मांग उत्पन्न होती है, उससे नए–नए उद्योग धंधे आरंभ होते हैं, फिर उससे भी मांग उत्पन्न होती है, परिणामत: मांग आपूर्ति का चक्र गति पकड़ता है, यही आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत है।

सातवां वेतन आयोग की घोषणा करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इसे युक्तिसंगत ठहराने के लिए अधिकतम उपभोक्ताओं की जेब में पैसा आने से मांग और आपूर्ति का चक्र गतिमान होने को ही आधार बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि जब 1 प्रतिशत लोगों की जेब में पैसा आने से अर्थ चक्र गतिमान होता है, तो 75 प्रतिशत लोगों की जेब में पैसा आने से तो अर्थ चक्र के पंख लग जाएंगे।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ही आगामी बजट में प्रावधानों के प्रति राज्य की जनता आशान्वित है ।

– रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
किसान महापंचायत

वर्ष 2022 से वन्यजीवों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही जीव सेवा समिति

पांच सदस्यों से शुरू हुए अभियान में अब तक 910 शहरवासी जुड़ चुके हैं, वन्यजीवों के उत्थान, संरक्षण, सुरक्षा एवं उनके संवर्द्धन के लिए प्रयत्नरत है समिति

श्रीमाधोपुर, (निसं)। अजीतगढ़ कस्बे की जीव सेवा समिति अध्यक्ष महेश दीवान, कोषाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह बड़गुर्जर, उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद शर्मा, सचिव मनोज कुमार शर्मा एवं सदस्य नीलकमल सिखवाल के कुशल दिशा–निर्देशन में अब तरक्की करती जा रही है। एक समय ऐसा था जब इनके इस काम को देखकर लोग खिल्ली उड़ाया करते थे लेकिन अब कारवां बढ़ता ही जा रहा है। वन्यजीवों के उत्थान, संरक्षण, सुरक्षा एवं उनके संवर्द्धन के लिए प्रयत्नरत यह समिति वन्यजीवों के अवैध शिकार, अवैध तस्करी एवं अवैध व्यापार के अंकुश में सहायक सिद्ध हुई है। वहीं वन्यजीवों के भोजन–पानी की व्यवस्था में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। सन् 2022 से अनवरत सेवा कार्य में जुटी यह टीम सन् 2023 में ब्लाक स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत हो चुकी है।

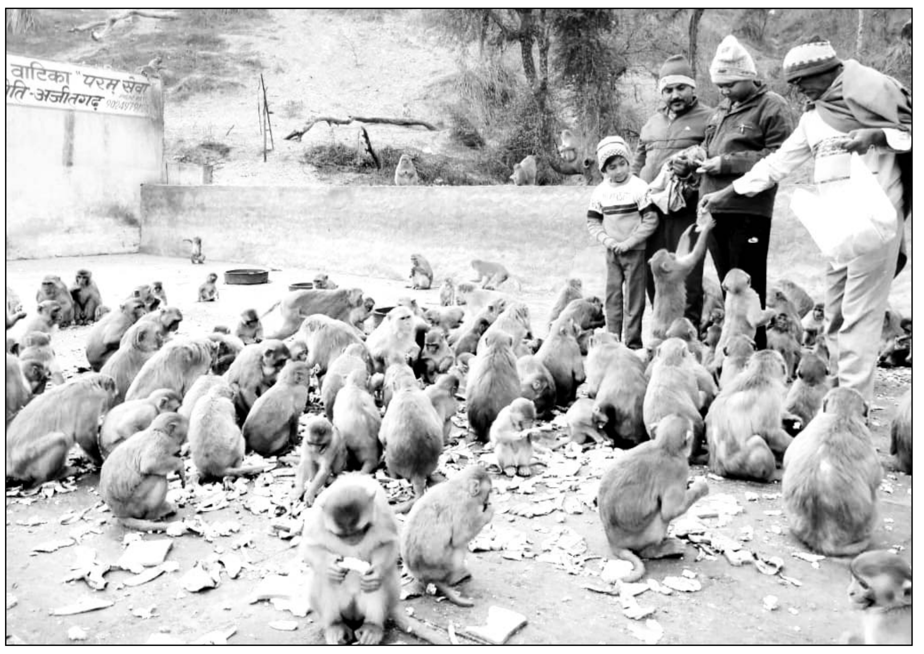

अजीतगढ़ कस्बे की जीव सेवा समिति वन्यजीवों के भोजन-पानी की व्यवस्था में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है।

जीव सेवा समिति की प्रतिदिन की सेवा:– बंदरों को रोजाना 10 किलोग्राम आटे की रोटियां,15 से 30 किलोग्राम केले, 200 रुपये से 300 रुपये तक की ब्रेड्स, 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के भूंगड़े (भूने चने), गौशाला की गायों खातिर 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का हरा चारा, हरी सब्जी, दलिया, गुड़, कबूतरों के चुग्गे के लिए लगभग 10 से 15 किलोग्राम ज्वार एवं वन्यजीवों के लिए पेयजल आपूर्ति सुविधा प्रमुख रहती है। ये सभी सेवाएं जीव सेवा समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन धाराजी श्री श्याम वाटिका में प्रदान की जाती है।

गायत्री मंदिर अजीतगढ़ में प्रतिदिन 15 किलोग्राम ज्वार कबूतरों को दाना चुगने के लिए डाली जाती है वहीं रोजाना लगभग 1–2 किलोग्राम कीड़ी नंगरा चींटियों खातिर बिखेरा जाता है। खण्डेला विधायक सुभाष मील की अनुशंसा पर गणतंत्र दिवस जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जीव सेवा समिति के अध्यक्ष महेश दीवान को जिला कलेक्टर डॉ. मुकुल शर्मा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद अमराराम, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित अनेकानेक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दिया गया। ग्रुप से जुड़े 910 सदस्यों एवं अन्य के यहां जन्मदिन, शादी की सालगिरह, मकान, दुकान या प्रतिष्ठान का मुहुर्त, किसी की पुण्यतिथि इत्यादि होती है तो वो सहर्ष जीव सेवा समिति से सम्पर्क कर अपना सहयोग या तो स्वयं या फिर समिति के सदस्यों के मार्फत देने को आतुर रहता है। सहयोग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से मान्य है। हालात इतने व्यस्त हैं कि सहयोगकर्ताओं को दो–चार दिनों तक इंतजार करना पड़ता है क्योंकि एडवांस बुकिंग चलती रहती है। आंधी–तूफान – सर्दी– गर्मी कैसा भी मौसम हो जीव सेवा समिति का रोजाना का सेवा कार्यो का सिलसिला कभी विश्राम नहीं करता।

सभी सक्रिय पांचों कार्यकर्ता गर्मियों में प्रात: 6.30 से 9.30 बजे तक एवं सर्दियों में प्रात: 7.30 बजे से 10 बजे तक धाराजी श्री श्याम वाटिका में अपनी ड्यूटी देने के लिए तत्पर खड़े मिलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेश दीवान, सेवानिवृत्त एएसआई रमेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त रोड़वेजकर्मी देवेन्द्र सिंह बड़गुर्जर, आर्युवेद चिकित्सक नीलकमल सिखवाल एवं मनोज शर्मा की मेहनत रंग ला रही है। पांचों सदस्यों की एक आवाज पर वन्यजीव इतने प्रसन्निचत –प्रफ्फुलित हो जाते हैं जैसे उनका कोई रहनुमा हाजिर हो गया हो।

- **सभी सेवाएं जीव सेवा समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन धाराजी श्री श्याम वाटिका में प्रदान की जाती है**
- **वन्यजीवों के उत्थान, संरक्षण, सुरक्षा एवं उनके संवर्द्धन के लिए प्रयत्नरत यह समिति वन्यजीवों के अवैध शिकार, अवैध तस्करी एवं अवैध व्यापार के अंकुश में सहायक सिद्ध हुई है**
- **टीम सन् 2023 में ब्लाक स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत हो चुकी है**

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 19 फरवरी, 2025

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2081, स्वाती नक्षत्र प्रात: 10:40 तक, वृद्धि योग दिन 10:48 तक, वणिज करण प्रात: 7:33 तक, चन्द्रमा गुरूवार प्रात: 6:50 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–कुम्भ, चन्द्रमा–तुला, मंगल–मिथुन, बुध–कुम्भ, गुरू–वृष, शुक्र–मीन, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज रवियोग दिन 10:40 तक, पुन: दिन 12:26 से आरम्भ होगा। भद्रा प्रात: 7:33 से रात्रि 8:41 तक रहेगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ–अमृत सूर्योदय से 9:52 तक, शुभ 11:19 से 12:41 तक, चर 3:29 से 4:53 तक, लाभ 4:53 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:17, सूर्यास्त 6:30

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को बाहर जाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर–परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

सिंह

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

तुला

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है।

वृश्चिक

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

धनु

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

मकर

व्यावसायिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

घर–परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है।